न्यायालय :—मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटनी (म0प्र0)

(समक्ष :— ए0ए0अन्सारी)

दांडिक प्रकरण क0:— 2811 / 09
संस्थित दिनाँक :— 25.08.2009

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा वन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्र ढीमरखेड़ा,
जिला कटनी (म0प्र0) ... अभियोजन

वि रू द्ध

01. इत्तू वल्द श्री मनीराम बैगा कोल,
आयु लगभग 40 वर्ष.

02. भाईलाल वल्द श्री टिल्लू कोल,
आयु लगभग 31 वर्ष.

03. इकबाल खान उर्फ अतीक अहमद, वल्द श्री रफीक अहमद. } फरार अभियुक्त.

निवासीगण ग्राम बनहरा, थाना उमरियापान,
जिला कटनी (म0प्र0) ... अभियुक्तगण

—:: नि र्ण य ::—

(आज दिनाँक 15.11.2010 को उद्घोषित)

अभियुक्त पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—9 सहपठित धारा 51 एवं 39 सहपठित धारा 51 के तहत आरोप है, कि उन्होंने दिनॉक 24.06.2009 को शाम 04:00 बजे के आसपास गढ्ढे के पानी में कीटनाशक जहर मिलाकर वन्य प्राणी तेंदुआ एवं उसके दो शावक जिसमें एक नर और एक मादा तेंदुआ एक कबर बिज्जू (स्माल इंडियन साबेट), कोगी (टाडीकैप), उल्लू (स्पोटेड आब्लेट), लंगूर, वनकौआ, मेढक, एक मादा चीतल का शिकार किया, तथा वन्य प्राणी के शिकार में प्रयुक्त एक नग कुल्हाड़ी का प्रयोग कर चीतल के बाल एवं हड्डी जो कि राज्य सरकार की संपत्ति थी, अपने आधिपत्य में शिकार के उंपरांत रखे पाये गये।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है, अभियुक्तगण के द्वारा घटना दिनॉक 24.06.2009 को शाम के लगभग 04—05 बजे आसपास विलौड़ी नाला में कौहा के पेड़ के नीचे गढ्ढे में पानी भरा गयाथा, जिसमें कीटनाशक (जहर) जंगली जानवरों का

15/11/10
(ए० ए० अंसारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म०प्र०)

कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

शिकार करने के लिए मिलाया गयाथा, व उसके पास ही महुआ के पेड़ के नीचे जंगली जानवर के इंतजार में बैठे रहे, बाद में लगभग 10–11 बजे रात को आरोपी भाईलाल के साथ अन्य अभियुक्गण घर चले गये, सुबह लगभग चार बजे तीनों पुन बिलौड़ी नाला पहुॅचे, जहां गढ्ढे में जहर डाला गया था, उसके आसपास जहरीला पानी पीने से एक वयस्क मादा तेंदुआ तथा एक शावक मादा तेंदुआ मृत अवस्था में पड़े हुए मिले, जिन्हें आरोपी इकबाल खान एवं इत्तू बैगा ने घसीटकर दूर ले जाकर जामुन के पत्ता व छूला के पेड़ के नीचे छिपा दिया, तथा गढ्ढे के पास ही एक मादा चीतल जो महुआ के पेड़ के नीचे तड़प रहा था, उसको आरोपी इकबाल खान ने चाकू से हलाल कर, चीर फाड़कर मांस आपस में बांट दिया, आरोपीगण ने वहीं पर चीतल की मुंडी एवं पैरों को भूनकर खाया, तथा चीतल का मांस अपने साथ ले गये। अभियुक्गण द्वारा पानी के प्राकृतिक छोटे स्त्रोत गढ्ढे में जहरीला पदार्थ मिलाने से उक्त जहरीले पानी को पीकर एक वयस्क मादा तेंदुआ एवं उसके दो शावक जिसमें एक नर तेंदुआ एवं एक मादा तेंदुआ मृत हो गये, साथ ही उक्त जहरीला पानी पीने से एक कबरबिज्जू (स्माल इंडियन साबेट), कोगी (टाडीकैप), उल्लू (स्पोटेड आब्लेट), लंगूर, वनकौआ, मेढक, एक मादा चीतल तथा छोटे–छोटे कीट आदि दुर्लभ वन्य प्राणी की मृत्यु हुई। मौके पर से अपराध में उपयोग की गयी सामग्री कुल्हाड़ी आदि जप्त किए गये। अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, पंचनामा बनाया गया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, तथा सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही के उपरांत वर्तमान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. न्यायालय अभियुक्त पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा–9 सहपठित ध ारा 51 एवं 39 सहपठित धारा 51 के तहत आरोप विरचित कर, अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, तो उसने अपराध करने से इंकार किया, उनके विचारण चाहने का अभिवाक् अंकित किया गया।

04. अब प्रकरण के विचारण के लिए प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह हैं, किः–

01. क्या अभियुक्त के द्वारा दि0 24.06.2009 को शाम 04:00 बजे के आसपास गढ्ढे के पानी में कीटनाशक जहर मिलाकर वन्य प्राणी तेंदुआ एवं उसके दो शावक जिसमें एक नर और एक मादा तेंदुआ एक कबर बिज्जू (स्माल इंडियन साबेट), कोगी (टाडीकैप), उल्लू (स्पोटेड आब्लेट), लंगूर, वनकौआ, मेढक, एक मादा चीतल का शिकार किया गया?

02. क्या उसी दिनॉक समय व स्थान पर अभियुक्तगण वन्य प्राणी के शिकार में प्रयुक्त एक नग कुल्हाड़ी का प्रयोग कर चीतल के बाल एवं हड्डी जो कि राज्य सरकार की संपत्ति थी, अपने आधिपत्य में शिकार के उपरांत रखे पाये गये?

–:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार ::–

05. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी दिनेश सिंह पटैल, वन रक्षक अ0सा01 का यह कहना है, कि उसे रेंजर साहब ने फोन पर बताया था, कि तुम्हारी बीट मकरंदा में तेंदुआ मर गया है, तत्काल जाओ, तब वह मकरंदा में बिलौड़ी नाला पहुँचा, परन्तु डिप्टी रेंजर एस0एस0 मिश्रा उसके पहले ही पहुँच. गये थे, वहां पर देखा, कि वयस्क मादा तेंदुआ मृत मरा पड़ा था, उसके नाक से खून व झाग निकल रहा था, उसका जप्ती पंचनामा बनाया गया था। इसी प्रकार एक मादा तेंदुआ नाले में जामुन के पत्तों के बीच ढंका पड़ा था, उसकी भी जप्ती कार्यवाही हुई, उसके आगे कोहा के पेड़ के नीचे एक लंगूर मरा पड़ा था, उसके नाक से खून निकल रहा था, उसकी जप्ती की कार्यवाह हुई। सभी कार्यवाही डिप्टी रेंजर के द्वारा की गयी थी। वहीं पर एक पानी का गढ्ढा था, जिसमें उल्लू, मेंढक, सांप मरे हुए थे, उनकी भी जप्ती की कार्यवाही हुई थी। आगे बगल में एक वनकौआ मरा पड़ा था, उसकी भी जप्ती की कार्यवाही हुई, तथा एक कबरबिज्जू के नाक से खून निकल रहा था, वह भी पड़ा मिला, उसकी भी जप्ती की कार्यवाही की गयी, कोबी मृत पड़ी हुई थी, मादा तेंदुआ के नीचे से खून आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी की जप्ती की कार्यवाही की गयी थी, तथा गढ्ढे के पानी की भी जप्ती की कार्यवाही की गयी थी। मादा तेंदुआ के पास से खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी की जप्ती की कार्यवाही हुई थी। इस प्रकार इस साक्षी ने अनेक पशुओं एवं पक्षियों के मृत होने एवं वहां पर पड़ होने, उनके नाक से खून व झाग निकलने की बात बतायी है। इस संबंध में एस0एस0 मिश्रा उप वनक्षेत्रपाल अ0सा02 को भी पेश किया गया है, जिसके द्वारा भी इसी प्रकार का कथन किया गया है, कि मौके पर पड़े हुए जंगली पशुओं एवं पक्षियों तथा वहां की मिट्टी आदि की जप्ती की कार्यवाही की गयी थी, परन्तु इस साक्षी का कहना है, कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। दालचंद ने घटना के बारे में सूचित किया था। आरोपी इत्तू से पूछताछ की थी, जिसने भाईलाल के बारे में बताया था। उसके बाद दालचंद का बयान दर्ज किया था, जिसके बाद भाईलाल का बयान दर्ज किया था।

06. एस0डी0ओ0 फारेस्ट आर.सी त्रिपाठी अ0सा03 के द्वारा भी यह बताया गया, कि वह आरोपी भाईलाल एवं इत्तू को जानता है। इन लोगों ने इकबाल सिंह के साथ मिलकर पानी के गढ्ढे में जहर मिलाया था, जिससे वन्य प्राणियों की मृत्यु हुई थी। सभी के शव परीक्षण हेतु जबलपुर पशु महाविद्यालय वन्य प्राणी ले जाया गया था, जहां पर डॉ0 ए. बी.श्रीवास्तव ने परीक्षण किया था, फिर उसके बाद डुमना नेचरल रिजर्व में आकर दाह

(ए० ए० अंसारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कटनी (म0प्र0)

संस्कार किया गया था। उस समय ए0के0 बरौनिया वन मण्डल अधिकारी, एवं एस0डी0ओ0 एस0के0 यादव व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ए0के0 बरौनिया अ0सा08 के व्दारा भी शव मिलने एवं जप्ती की कार्यवाही होने के बाद उनका परीक्षण कराये जाने की पुष्टि की है, तथा डॉ0 ए0बी0श्रीवास्तव अ0सा09 ने भी इस कथन की पुष्टि की है, कि उनके द्वारा वन्य प्राणियों का परीक्षण किया गया था, जिसमें मादा तेंदुआ, उसका बच्चा, काले रंग का लंगूर, कबरबिज्जू, टोवीकेट, उल्लू, वनकौआ, नर तेंदुआ थे, तथा परीक्षण के दौरान मुंह व जीभ नीले व काले रंग के हो गये थे, छोटी आंत में आंत्रशोध, स्वांस नली में खून निकल रहा था, परन्तु इस साक्षी का कहना है, कि वह जांच के बाद निश्चित मत पर पहुँचा था, और इसके बाद ही एफ0एस0एल0 सागर भेजे जाने हेतु सीलबंद करके एस0डी0ओ0 आर0सी0 त्रिपाठी को सुपुर्द कर दिया था, परन्तु इस साक्षी ने स्पष्ट किया है, कि वन्य प्राणी की मृत्यु जहर खाने से ही हुई है। इससे यह बात साफ हो जाती है, कि जहर का सेवन करने से ही उक्त प्राणियों की मृत्यु कारित हुई थी।

07. एस0एल0 वर्मा वन क्षेत्रपाल अ0सा05 को भी पेश किया गया है। इसने भी अपने कथन में यह बताया है, कि मौके पर सूचना मिलने पर डिप्टी रेंजर एस0एस0मिश्रा एवं वन रक्षक दिनेश पटैल, बीटगार्ड एवं अन्य स्टाफ पहुँचे, तो अनेक प्राणी मृत अवस्था में पाये गये थे, जिनका पंचनामा बनाया गया था। इस साक्षी का यह भी कहना है, कि उक्त प्राणियों के शव परीक्षण प्रभारी चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा किया जाकर एकत्रिक किए गये बिसरा सेम्पल व जप्त सम्पत्ति को राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–57 प्राप्त हुई थी, तथा उसने दाह संस्कार की फोटो भी खिंचवायी गयी थी। फोटो के संबंध में श्री प्रकाश जायसवाल अ0सा017 के द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गयी है, कि उसकी दूकान सुभाष चौक में स्थित है, तथा उसके द्वारा जो पेमेंट प्राप्त किया गया है, उसकी बिल प्रदर्श पी–89 से 91 तक का है। पेमेंट लेने के बाद रसीद दिया था, परन्तु मौके पर फोटो खींचने नहीं गया था, परन्तु ए0एल0वर्मा अ0सा05 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है, कि फोटो शासकीय कैमरे से लिया गया था। फोटोग्राफी की कार्यवाही की गयीथी, जिसकी पुष्टि अबरारखां अ0सा07 के द्वारा भी की गयी थी। जहां तक राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी–57 के प्रतिवेदन का प्रश्न है, उसमें दिये गये अभिमत के मुताबिक आर्जेनो फास्फोरस कीटनाशक एवं फास्फामिडान पाया गया था।

08. अभियोजन ने जप्ती के सभी उपस्थित साक्षियों मैकु अ0सा011, विजयकुमार अ0सा012, जगमोहन अ0सा013, सिपाहीसिंह अ0सा014, रमेश प्रसाद अ0सा016 को भी पेश

(ए0 ए0 असारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म0प्र0)

किया गया है। उक्त पंचनामा के साक्षियों ने अपने सामने पंचनामा बनाया जाना स्वीकार किया है, तथा आरोपी इत्तू से चीतल के बाल एवं हड्डी तथा खून से लथपथ प्लास्टिक की बोरी का जप्ती एवं मौके के पंचनामा के साक्षी रमेश अ0सा016 का यह कहना है, कि इत्तू से पूछताछ उसके सामने हुई थी, तथा उसने भाईलाल के साथ लकड़ी बीनने जाने, तथा बिलौड़ी नाला के पास भाईजान को मिलने तथा वहीं पर जंगली जानवरों का शिकार करने की बात तय होना बताये जाने की पुष्टि की है, तथा यह भी बताया है, कि बिलौड़ी नाला के पास जाकर शीशी वहां पर मौजूद नाले में उगल दी थी, जिसमें कोई दवाई थी, इस प्रकार गढ्ढे के पानी में उसे मिला दिया था। इत्तू व भाईलाल दोनों ने मिला दिया था। इस साक्षी का यह भी कहना है, कि इत्तू ने कुल्हाड़ी से काटना बताया था, उसकी भी जप्ती की कार्यवाही की थी। इसी प्रकार भाईलाल से भी खून आलूदा कुल्हाड़ी जप्त हुई थी। इसी प्रकार का कथन इसी तथ्य के साक्षी विजय कुमार अ0सा012 के द्वारा भी किया गया है।

09. इस संबंध में मौके के साक्षियों ने, जिन्होंने घटना के समय आरोपीगण को देखा था, दालचंद अ0सा06 एवं गोपाल अ0सा015 को भी पेश किया गया है। दालचंद अ0सा06 ने अपने कथन में बताया है, कि जब वह गोपाल के साथ अपने ईंट भट्टा जा रहा था, जब उसके बाद वापिस आने लगा, उसी समय गोपाल ने बताया, कि इत्तू को नाला में देखा है, तब उसने देखा कि नाले में इत्तू, भाईलाल और एक भाईजान वहीं पर महुआ के झाड़ के नीचे जहां पानी है, वहां पर थे, भाईजान के हाथ में एक बैग था, जो एक शीशी लिए हुए था। गोपाल ने उसको आवाज भी लगायी थी। इसके बाद इत्तू ने देखा भी था, फिर हम लोग चले गये थे, वह यह नहीं देख पाया था, कि शीशी में क्या है। दूसरे दिन लोगों ने बताया, कि बिलौड़ी नाला में हादसा हो गया है, अधिकारियों की गाड़ी जा रही है, तथा जानवर मर गये हैं, तब बिलौड़ी नाला पहुँचकर देखा, तो लाश उठाकर ले जाया जा रहा था, तथा उससे इस संबंध में पूछताछ की गयी थी। बिलौड़ी नाला जंगल में ही बहते हुए आया है, परन्तु उस समय नाला में पानी नहीं था, क्योंकि भीषण गर्मी थी। उसमें कहीं कहीं पानी बह रहा था। इत्तू जंगल में ही लकड़ी व पत्ती का काम करता है, तथा उसने अधिकारियों को घटना के बारे में बताया था। उसके बयान में जहर वाली बात नहीं लिखी गयी थी, क्योंकि गांववालों ने बताया था, कि जहर से ही जानवरों की मृत्यु हुई थी। जबकि इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए गोपाल अ0सा015 ने यह बताया है, कि उसने देखा था, कि भाईजान ने पानी में कोई चीज खोली थी, तथा मौके पर पहुँच गया था, तथा देखा था, कि इत्तू व भाईलाल वहां पर थे, परन्तु जानवर कैसे मर गये, इस बारे में वह नहीं बता

(ए० ए० अंसारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

सकता।

10. इस प्रकार मौके साक्षियों के कथन को एकसाथ पढ़ने से यह स्पष्ट है, कि मौके पर घटना दिनॉक को आरोपी इत्तू एवं भाईलाल मौजूद थे, तथा भाईजान भी था। शीशी में कोई चीज रखी हुई थी, जिसे पानी में मिलाया भी गया था, फिर बाद में मालूम हुआ, कि बहुत से प्राणी वहां पर मरे पाये गये। इस प्रकार घटना स्थल पर घटना के ठीक पहले अंतिम बार आरोपीगण को संदेहास्पद हालत में शीशी में कोई सामग्री लिए हुए, तथा पानी में मिलाते हुए पाया गया था। तब ऐसी हालत में इस साक्षियों के कथन में विसंगति एवं अभियोजन कहानी के कुछ अंशों को प्रमाणित न करने मात्र से, जिन्हें प्रमाणित न करने के बावजूद भी इतना तो स्पष्ट है, कि घटना स्थल पर आरोपीगण घटना दिनॉक को पाये गये थे, तथा शीशी से कोई सामग्री भी गढ्ढे के पानी में मिलायी गयी थी, तब इत्तू व भाईलाल के द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद कराये जाने की पुष्टि इस तथ्य के साक्षियों द्वारा किए जाने एवं यह भी स्पष्ट किए जाने, कि तीनों ने शिकार करने के उद्देश्य से पानी में जहर मिलाया था। इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह किये जाने का कोई आधार नहीं है, तथा इस संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से न्यायालय सहमत नहीं है, कि चूँकि जो वन्य प्राणी पाये गये है, वह ऐसे स्थान पर हैं, जहां पर कोई भी आ—जा सकता है, इस प्रकार यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, कि घटना इन्हीं आरोपियों द्वारा शिकार करन के उद्देश्य से कारित की गयी। विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से भी न्यायालय सहमत नहीं है, कि आरोपीगण के खिलाफ शिकार करने का कोई आरोप, जैसा कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—9 में उपबंधित किया गया है, स्पष्ट आरोप का निर्धारण नहीं किया गया है। इस संबंध में आरोप पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि पैरा नं0.1 में ही स्पष्ट किया गया है, कि —"का शिकार किया गया है"—, तथा धारा—9 का उल्लेंख भी किया गया है, तब ऐसा कहना कि आरोपीगण के खिलाफ शिकार के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया, इस तर्क से न्यायालय सहमत नहीं है।

11. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना से केवल इसी एक कहानी की पुष्टि होती है, कि घटना दिनॉक को आरोपीगण द्वारा पानी में कीटनाशक जहर मिलाकर वन्य प्राणियों का शिकार किया गया है, तथा उसी दौरान शिकार में प्रयुक्त कुल्हाडी, वन्य प्राणियों के बाल व हड्डी भी पायी गयी, और इस प्रकार जितने पशु मृत पाये गये, उसमें निश्चित रूप से वन्य प्राणी संरक्षक अधिनियम 1972 की अनुसूची—एक में वर्णित वन्य प्राणी भी शामिल हैं, और इस प्रकार आरोपीगण के खिलाफ धारा—9 एवं 39

15/11/17
(प्र० ए० अंसारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म०प्र०)

सहपठित धारा—51 की उपधारा—1 के तहत अपराध कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः दोनों आरोपीगण इत्तू एवं भाईलाल को धारा—51(1) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्धी की जाती है।

12. परिवीक्षा का लाभ दिये जाने पर विचार एवं दण्ड के प्रश्नपर सुने जाने के लिए कुछ समय पश्चात् प्रस्तुत हो।

(ए.ए.अंसारी)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
कटनी

पुनश्चः—

13. परिवीक्षा का लाभ दिये जाने पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को देखते हुए आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। दंडित किए जाने से ही न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होती है।

14. दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण इत्तू एवं भाईलाल को सुना गया। सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तथा जिस प्रकार से जितनी मात्रा में वन्य प्राणी की मृत्यु कारित हुई, उसे देखते हुए दोनों आरोपीगण इत्तू एवं भाईलाल को धारा—51(1) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 06—06 वर्ष (छः—छः वर्ष) के कठोर कारावास एवं 10,000 / —,10,000 / — (दस—दस हजार रूपय) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर प्रत्येक आरोपी को तीन—तीन माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतायी जावे। आरोपीगण ने इस मामले में न्यायिक निरोध में जो अवधि बितायी है, उसे दी गयी सजा में से मुजरा की जावे। आरोपीगण के सजा वारंट तैयार हों।

15. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुल्हाड़ी अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। शेष सम्पत्ति अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनॉकित
व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(ए0ए0अंन्सारी)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
कटनी

(ए0ए0अंन्सारी)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
कटनी (म0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
FOR COPYING FEES ONLY
TWO RUPEES INDIA COURT FEE Rs.2

00731910

दांडिक प्रकरण क्र0:— 2811 / 09

न्यायालय :—मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटनी (म0प्र0)

(समक्ष :— ए0ए0अन्सारी)

दांडिक प्रकरण क्र0:— 2811 / 09
संस्थित दिनॉक :— 25.08.2009

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा वन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्र ढीमरखेड़ा,
जिला कटनी (म0प्र0)

... अभियोजन

वि रू द्ध

01. इत्तू वल्द श्री मनीराम बैगा कोल,
आयु लगभग 40 वर्ष.
02. भाईलाल वल्द श्री टिल्लू कोल,
आयु लगभग 31 वर्ष.

03. इकबाल खान उर्फ अतीक अहमद, वल्द श्री रफीक अहमद. — फरार अभियुक्त.

निवासीगण ग्राम बनहरा, थाना उमरियापान,
जिला कटनी (म0प्र0)

... अभियुक्तगण

कटनी।

15.11.2010 परिवादी की ओर से सुश्री मंजुला श्रीवास्तव, अधिवक्ता।
अभियुक्तगण इत्तू एवं भाईलाल न्यायिक अभिरक्षा से प्रस्तुत।
अभियुक्त इत्तू की ओर से श्री जे0पी0चौधरी, अधिवक्ता।
अभियुक्त भाईलाल की ओर से श्री शिशिर निगम, अधि0।

1. प्रकरण निर्णय हेतु नियत है।

2. प्रकरण में पृथक से निर्णय टंकित कराया जाकर, दिनांकित व हस्ताक्षरित कर, खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

3. निर्णयानुसार अभियुक्तगण इत्तू एवं भाईलाल को धारा–51(1) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सिद्धदोष पाते हुए, निर्णय की कंडिका–14 के अनुसार दंडित किया गया।

2रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

2रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

4. अभियुक्तगण के सजा वारंट तैयार किए जावें। धारा 428 दं0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

5. निर्णय की निःशुल्क प्रतियां अभियुक्तगण को प्रदान की जावें।

6. जप्तशुदा मुद्देमाल का निराकरण निर्णयानुसार किया जावे।

7. प्रकरण में एक अभियुक्त इकबाल खान उर्फ अतीक अहमद फरार है। अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर टीप अंकित की जावे, कि प्रकरण सुरक्षित रखा जावे।

8. प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी मे दर्ज कर, प्रकरण का अभिलेख, नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(ए.ए.अन्सारी)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
कटनी.

(ए० ए० अंसारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म०प्र०)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुख्य प्रतिलिपिकार
कटनी

7319/10
16/7/10
25/7/10
18/7/10
18/7/10
18/7/10
19/7/10
19/7/10

उनिशाक्षेमुरी-231-1-12-06-फासे-1,00,000 प्रपत्र.